न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (स0मा0)

मु.नु.: 31/19 तारीख रजू : 11.10.2019 निर्णय दिनांक :-29.11.2019

सरकार बनाम कमल पुत्र हजारी

-:निर्णय:-

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुर बडौदा ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि कमल पुत्र हजारी जाति मीना निवासी डिबस्या ने खसरा नम्बर 959 रकबा 0.06 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह वाके ग्राम डिबस्या पर संवत 2076 में अनाधिकृत रूप से कब्जा डोल कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धांरा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

पटवारी हल्का उपस्थित। गैरसायल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अतिचार से इंकार किया।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरूद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। पटवारी हल्का द्वारा नवीन अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है किन्तु अतिचारी का अतिचार प्रमाणित होता हैं। चूंकी अतिक्रमी उपस्थित न्यायालय रहा है अतः उसके विरूद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है एवं गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 0.49 की 50 गुनी शास्ति 25/- आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर नीलाम करें एवं पालना रिपोर्ट पृथक से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से मॉग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या 21 पर
रुपय 25/- की कायमी वर्ष 2019-20
की गई।

राजस्व लेखाकार

Scanned with CamScanner